

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक :- १५२

दिनांक :- २०/११/२०१९

### कार्यालय आदेश


मण्डल की समीक्षा बैठक दिनांक २९/०१/२०१९ में लिये गये निर्देशानुसार सभी उप आवासन आयुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ५० वर्गमीटर माप तक की भू-पट्टियों (स्ट्रिप ऑफ लैंड) के आवंटन हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है। इसके साथ ही सभी उप आवासन आयुक्तों को निर्देशित किया जाता है कि ५० वर्गमीटर से अधिक माप की भू-पट्टियों के आवंटन संबंधी समस्त लम्बित प्रकरणों को "सम्पत्ति आवंटन समिति" से निर्णित करवाकर भू-पट्टी आवंटन संबंधी कार्यवाही भी यथाशीघ्र करावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

  
(पवन अरोडा)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. निजी सचिव-माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा०आ०म० जयपुर।
२. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा०आ०म० जयपुर।
३. सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा०आ०म०, जयपुर।
४. मुख्य सम्पदा प्रबंधक/निदेशक विधि/रा०आ०म०/जयपुर।
५. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा०आ०म० जयपुर/जोधपुर।
६. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा०आ०म० जयपुर।
७. उप आवासन आयुक्त, वृत्त.....रा०आ०म०.....(समस्त)।
८. आवासीय अभियन्ता, खण्ड.....रा०आ०म०.....(समस्त)
९. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक